सं. ए 12012/2/2009-स्था. (छुटटी)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 20-10-2011

कार्यालय ज्ञापन

विषय – रक्षा संस्थापनाओं के असैन्य (सिविलियन) महिला औद्योगिक कर्मचारियों को बालचर्या अवकाश स्वीकार किया जाना ।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1972 के तहत आने वाले औद्योगिक केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के समकक्ष रक्षा संस्थापनाओं में कार्यरत असैन्य सिविलियन औद्योगिक कर्मचारियों को बालचर्या अवकाश का लाभ दिए जाने का मामला, इस विभाग के विचारार्थ रहा है। वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के परामर्श से यह निर्णय लिया गया है कि केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1972 के तहत आने वाले गैर आद्योगिक केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के समकक्ष रक्षा संस्थापनाओं में कार्यरत असैन्य (सिविलियन) महिला औद्योगिक कर्मचारियों को बालचर्या अवकाश का लाभ दिया जाए जो केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1972 के नियम 43-सी, समय-समय पर यथासंशोधित, में प्रदान की गई शर्तों के अध्यधीन होगी ।

ये आदेश जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे ।

जोया सी.बी.

(जोया सी. बी.)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग